क्रमांक 16/4/84-3 जी0 एस0-II

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)

2. रजिस्ट्रार, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 22-2-84

विषय :- सेवा अवधि के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के परिवारों को सुविधाएं देना---भवन निर्माण ऋण पर लगी ब्याज की राशि को माफ करने बारे ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 7260-3 जी0 एस0-II -71/880, दिनांक 10-1-1972 की ओर दिलाने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार के नोटिस में आया है कि मृतक कर्मचारियों द्वारा लिए गए भवन निर्माण ऋण पर लगने वाले ब्याज की माफी के लिये जो केसिज इस विभाग को प्राप्त होते हैं उनमें बहुत अधिक देरी की जाती है । जिसका कारण विभिन्न विभागों द्वारा यह बताया गया है कि भवन निर्माण ऋण पर लगने वाले ब्याज की वैरीफिकेशन में बहुत समय लग जाता है । अतः यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में ब्याज की वैरिफिकेशन संबंधित विभागाध्यक्ष अपने विभागीय स्तर पर करवा कर केस सरकार को भेज दें तथा बाद में महालेखाकार, हरियाणा की सहमति ले ली जाए और यदि वैरिफिकेशन में कोई अन्तर आए, तो मामला सरकार के साथ टेक-अप कर लिया जाए ।

2. भविष्य में इन हिदायतों का दृढ़ता से पालन किया जाए व इस पत्र की पावती भी सरकार को भेजी जाए ।

हस्ता/-
उप सचिव, प्रोटोकोल,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी वित्तायुक्तों, आयुक्त एवं सचिवों तथा सचिवों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।